# न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS
प्रकरण संख्या 01/2026
जीसीएमएस नं0 2026/8

श्री धर्मेन्द्र गौतम, निवासी–1189 बसंत बिहार कोटा
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अति0 जिला कलक्टर कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक:–26.01.2026

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री धर्मेन्द्र गौतम, निवासी–1189 बसंत बिहार कोटा ने दिनांक 07.11.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई–

1. कोटा शहर /ग्रामीण के सभी सरकारी कार्यालयों /केन्द्र सरकार कार्यालयों का मौका अवलोकन कराते हुए सभी सरकारी कार्यालयों /विभागों / केन्द्र सरकार के अधीन विभागों के अधीन सरकारी सम्पत्तियों पर उपभोग लाईट /नल बिल भुगतान की सूचीबद्व तरीके से रिपोर्ट प्रमाणित प्रति व सरकारी पार्को, सरकारी पार्को के मंदिर मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर विगत पांच साल का समिति पदाधिकारी अध्यक्ष इत्यादित के द्वारा भुगतान किये गये के सम्बन्ध में जानकारी ।
2. दिनांक 8.4.2013 व 9.4.2013 को सम्भागीय आयुक्त महोदय को प्रेषित परिवाद सहित की गई कार्यवाही की स्पष्टीकरण की प्रमाणित प्रतियां आदि ।
3. भूखण्ड सं0 1177–78 बसंत बिहार कोटा पर दिनांक 4.3.06 को जिला कलक्टर कलेक्टर कोटा को प्रेषित परिवाद के संबंध में तहसील न्यायालय, नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा की गई कार्यवाही ।
4. भूखण्ड सं0/ मकानं नं0 1 से लेकर 1600 भूखण्ड माजिक / मकान मालिकों, बसंत बिहार, नगर विकास न्यास की निमार्णय स्वीकृति, परमिशन व नक्शा पर मिशन आदि की प्रमाणित प्रतियां ।
5. नगर विकास न्यास कोटा को पत्र दिनांक 31.1.2008 की प्रमाणित प्रति सभी पार्को पर बने धार्मिक मस्जिद / मंदिर इत्यादि बच्चों के खोलने का पर्याप्त स्थान सुप्रिम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी के विरूद्व कार्यवाही आदि ।
6. दिनांक 4.6.2006 की जिला कलेक्टर कोटा को प्रेषित परिवाद की प्रति सहित प्रमाणित कार्यवाही व दिनांक 22.9.2004 यू.आई.टी. कोटा को पत्र कमांक 3912 को प्रेषित परिवाद की प्रति सहित कार्यवाही की रिपोर्ट वगै0 ।

प्रार्थी अपीलांट के परिवाद दिनांक .7.11.2025 से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित चाही गई भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी की सूचना नहीं मिलने पर यह

जिला कलक्टर
कोटा

अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से टिप्पणी ली गई । लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी पत्रांक/प्रथम अपील/प–231 /2025/27 दिनांक 19.01.2025 से निवेदन किया है कि आवेदक धर्मेन्द्र गौतम का आवेदन दिनांक 7.11.2025 प्राप्त हुआ था । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वांछित सूचना प्रश्नों के रूप में चाही गई थी । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (f) की परिधि में सूचना के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तर दिया जाना सम्मिलित नहीं है । अधिनियम की धारा 2 (f) व 7 (9) के तहत प्रश्नात्मक एवं विस्तृत सूचना देय नहीं है । अधिनियम अनुसार सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर तथ्यों को खोजकर, सूचना का सृजन कर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वांछित सूचना सभी सरकारी कार्यालयों से संबंधित है । सूचना आवेदकों से अधिनियम की धारा (1) के तहत अपेक्षित है कि उन्हें उसी लोक प्राधिकरण से सूचना की मांग की जानी चाहिए जहां पर वांछित सूचनाओं का संधारण किया गया है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खाजिर कर इसकी सूचना कार्यालय के पत्रांक 495 दिनांक 11.11.2025 से आवेदक को दे दी गई है । चूंकी आवेदक को कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है । अपीलांट को भी सुनवाई हेतु पत्रांक/रीडर/डीएम/2026/24 दिनांक 12.01.2026 से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु प्रार्थी अपीलांट अनुपस्थित है ।

हमने प्रार्थी अपीलांट की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं जानकारी चाही गई है । लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी से हम सहमत है कि अधिनियम की धारा 2 (f) व 7 (9) के तहत प्रश्नात्मक एवं विस्तृत सूचना देय नहीं है । अधिनियम अनुसार सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर तथ्यों को खोजकर, सूचना का सृजन कर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य पाते है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा